(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रख गए स्टाक में से चोरी/उठाई गीरी/दुर्विनयोग आग आदि से क्षतिग्रस्त नष्ट हुए खाद्यान्नों की मात्रा इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

	क्षतिग्रस्त और मानव उपभोग के अयोग्य किए गए	चोरी/उठाईगीरी/ दुर्विनियोग/@आग आदि के कारण नष्ट हुए
1974-75	1.7	0.2
1975-76	1.7	12.8
1976-77	27.0	0.1

(@तकनीकी तथा व्यवहारिक दृष्टि से चूहों के कारण क्षति और अनाज के सूख जाने तथा तोल के विभिन्न तरीकों के कारण हुई क्षति को अलग करना सम्भव नहीं होगा ।

(ग) जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब भारतीय खाद्य निगम द्वारा विहित कार्याविधि के अनुसार जांच करवाई जाती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की उप-समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

4714. **श्री शिवनारायण सरसूनिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 15 अप्रैल, 1974, 5 अगस्त, 1974 और 12 अप्रैल, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 6610, 1607 और 2276 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की उप समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त निर्णय कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कालोनी में मकान बनाने की अनुमति दी गई है और यदि नहीं, तो उक्त निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जाएगा, और

(ङ) प्लाटों के मालिकों को मकान बनाने की अनुमति कब तक दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हां ।

(ख) इस संबंध में निर्णय करने के लिए इस मामले को दिल्ली को उप-राज्यपाल पर छोड़ दिया गया था जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं । इस बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) अध्यक्ष के निर्णय का प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वियन किया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं । पंचाट (एवार्ड) के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ङ) जैसे ही तकनीकी समिति पंचाट के कार्यान्वयन पर निर्णय ले लेगी, प्लाट, धारियों को मकान बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी ।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की उप-समिति की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णय के बारे में ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(क) संशोधित ले आउट प्लान अनुमोदित करते समय दिल्ली नगर निगम द्वारा संशोधित ले आउट प्लान का अनुपालन निगम के दिनांक 29 सितम्बर, 1965 के संकल्प में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

(ख) सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित 7.60 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र शीघ्र अर्जित किया जाना चाहिए ।

(ग) सामुदायिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने की कमी को पूरा करने के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित 7.60 एकड़ भूमि के क्षेत्र में जिन कुछ प्लाटधारियों की भूमि आ जाएगी उनके हितों के लिए वृहत योजना व क्षेत्रीय योजना की आवश्यकताओं और लोकहित के व्यापक महत्व की अवहेलना नहीं की जा सकती, यद्यपि इससे उपर्युक्त प्लाटधारियों के हितों को हानि पहुंच सकती है ।

भूमि विकास बैंकों सम्बन्धी माधवदास समिति

4715. **श्री युवराज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेश प्रयोजनों के लिए ऋण के लिए गारंटी के रूप में बन्धक के बजाय भूमि पर शुल्क लगाने के संबंध में भूमि विकास बैंकों संबंधी माधवदास समिति की सिफारिश क्रियान्वित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और किन राज्यों में सिफ़ारिशें क्रियान्वित की गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). भूमि विकास बैंकों द्वारा निवेश प्रयोजनों के लिए ऋण हेतु प्रतिभूति के रूप में भूमि को बन्धक के बजाय उस पर प्रभार लगाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त भूमि विकास बैंकों संबंधी माधवदास समिति की सिफारिश राज्य सरकारों को विचार तथा कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है । चूंकि इसमें राज्य के कानूनों में संशोधन शामिल हैं, इसलिए राज्य सरकारें सिफारिश की जांच कर रही हैं ।

Appointments of Political Personalities in Jawaharlal Nehru University

4716. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether a number of appointments have been given by Jawaharlal Nehru University to political personalities to deal with research projects, patently political in nature; and

(b) if so, facts thereabout?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). According to the information furnished by the Jawaharlal Nehru University, Shri P. C. Joshi was appointed as Editor of the collection acquired from him. Shri Joshi was appointed with effect from 1st December, 1970 on a consolidated salary of Rs. 1,400 per month and he continued until 13th December, 1976. No other appointments were made by the University to political personalities to deal with research projects patently political in nature.